

त्रिपुरा के डारलॉग समुदाय को अनुसूचित जनजात की सूची में शामिल करने के लिये वधियक

प्रलिस के लिये:

लोकसभा, कुकी आदवासी, अनुसूचित जनजात, पद्मश्री, एनसीएसटी, डारलॉग, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, रियांग या ब्रूस, संथाल।

मेन्स के लिये:

भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति और संबंधित संवैधानिक प्रावधान।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [लोकसभा](#) ने संवधान (अनुसूचित जनजात) आदेश (संशोधन) वधियक, 2022 पारित किया।

- वधियक में **डारलॉग समुदाय** को कुकी आदवासी समुदाय की उप-जनजात के रूप में **अनुसूचित जनजातियों (STs)** की सूची में शामिल करने की मांग की गई थी।
- संवधान (अनुसूचित जनजात) आदेश, 1950** में संशोधन करके इस वधियक को पारित किया गया है।
- ज्ञात है की **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात आयोग** पछिले चार वर्षों से नषिक्रयि है।

त्रिपुरा में डारलॉग समुदाय की स्थिति:

- डारलॉग त्रिपुरा का एक आदवासी समुदाय है, जिसकी आबादी **11,000** है।
- समुदाय में **शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों** का उच्च प्रसार है तथा समुदाय के सदस्य स्थानीय प्रशासन में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं।
 - उदाहरण के लिये कुछ साल पहले **आदवासी संगीतज्ञ और रोज़म (एक आदवासी वाद्य यंत्र)** उस्ताद थंगा डारलॉग को संस्कृति में उनके योगदान हेतु प्रतिष्ठित पुरस्कार **पद्मश्री** से सम्मानित किया गया था।

त्रिपुरा में जनजातीय आबादी:

- त्रिपुरा में **20 आदवासी समुदाय** हैं, जो **18 जनवरी, 1982** को गठित **त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद** (Tripura Tribal Areas Autonomous District Council) में नवास करते हैं।
- आदवासी परिषद त्रिपुरा के कुल क्षेत्रफल के **लगभग 70% हिस्से को कवर करती है** और राज्य की कुल आबादी में से लगभग 30% आबादी यहाँ नवास करती है।
- इनमें से अधिकांश वर्तमान समय में भी **झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि (Slash and Burn Cultivation)** प्रणाली का अनुसरण करते हैं तथा **जीविकोपार्जन के लिये पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर** हैं।
- राज्य के आदवासी समुदायों में** त्रिपुरा/त्रिपुरी, **रियांग**, जमातिया, नोआतिया, उचाई, चकमा, मोग, लुशाई, कुकी, **हलाम**, मुंडा, कौर, ओरंग, **संथाल**, भील, भूटिया, चैमल, गारो, खसिया और लेप्चा शामिल हैं।
 - हलाम समुदाय में कई छोटे आदवासी कबीले** हैं। इनमें से कई भाषायी रूप से लुप्तप्राय समूह हैं, जैसे- बोंगखर, कार्बोंग आदि।

जनजातीय आबादी के कल्याण हेतु हाल ही में उठाए गए कदम:

- हाल ही में सरकार ने **आकांक्षी जिलों** के लिये **ब्रॉडबैंड और 4जी कनेक्टिविटी वकिसति करने की योजना** प्रस्तुत की है।
 - इसके लिये वलित **अनुसूचित जनजात घटक** के तहत आवंटित किया जाएगा।
- आदवासीयों के स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मुद्दे पर इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिये हाल ही में **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)** को धन आवंटित किया गया था।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति:

परिचय:

- वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को 'बहुरिवेशित' और 'आंशिक रूप से बहुरिवेशित' क्षेत्रों में 'पछिड़ी जनजातियों' के रूप में माना गया। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार 'पछिड़ी जनजातियों' के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभाओं में आमंत्रित किया गया।
- संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परभाषित नहीं करता है और इसलिये वर्ष 1931 की जनगणना में नहिती परभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में किया गया था।
- हालांकि संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को परभाषित करने के लिये प्रक्रिया निर्धारित करता है: "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ उन ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंदर कुछ वर्गों या समूहों से है, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिये अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजात माना जाता है।"
 - 342(1):** राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में राज्यपाल के परामर्श के बाद एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के समूहों को अनुसूचित जनजात के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है।
- अब तक लगभग 705 से अधिक जनजातियाँ ऐसी हैं जिन्हें अधिसूचित किया गया है। सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय ओडिशा में पाए जाते हैं।
- पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान करती है।
- संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

कानूनी प्रावधान:

- अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955
- अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में वसति) अधिनियम 1996
- अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान हैं? (2015)

- अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा।
- राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण।
- पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण।
- सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा।

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के 'चांगपा' समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2014)

- वे मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में रहते हैं।
- वे चांगथांगी (पश्मीना) बकरियों को पालते हैं, जो अच्छी ऊन प्रदान करती हैं।
- उन्हें अनुसूचित जनजात की श्रेणी में रखा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2 और 3
- केवल 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

- चांगपा अर्द्ध-खानाबदोश समुदाय हैं जो चांगथांग (यह लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फैला हुआ है) या लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- वे चांगथांगी (पश्मीना) बकरियों को पालते हैं और बेहतरीन गुणवत्ता के प्रामाणिक कश्मीरी ऊन के कुछ आपूर्तिकर्ताओं में से हैं। अतः कथन 2 सही है।
- वर्ष 2001 तक चांगपा को अनुसूचित जनजात के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अतः कथन 3 सही है।

स्रोत: द हिंदू

